निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 37 / 2023
दायरा दिनांकः—29.12.2023
निर्णय दिनांकः— 29.10.24

उनवान

1. जमनालाल आयु 73 वर्ष आत्मज गणेशराम जाति चमार निवासी ग्राम शेखापुर तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
2. भैरूलाल आयु 69 वर्ष आत्मज गणेशराम जाति चमार निवासी ग्राम शेखापुर तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर एक्ट

निर्णय दिनांकः— 29.10.24

अभिभाषक उपस्थितः—1. श्री चिरोंजीलाल भार्गव — प्रार्थी

अभिभाषक वादी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा,136 आर.टी.ए विरूद्ध प्रतिवादीगण के न्यायालय मे इस अशय का पेश किया गया कि वाके माल प्रार्थीगण ग्राम शेखापुर पटवार हल्का मूण्डला तहसील छबड़ा जिला बारा राजस्थान में स्थित भूमि खाता संख्या नया 191 में भूमि खसरा नम्बर 191, 192,193,423,424,428, 3.423,424,428. कुल किता 06 रकबा 1.6311 हैक्टयर भूमि एंव इसी प्रकार खाता संख्या नया 38 खसरा नम्बर 268. 269.270,425, कुल किता 4 रकबा 1.7450 हैक्टयर उल्लेखित भूमियात के सहभागी खातेदार कृषक है जाति से चमार है एतद द्वारा प्रार्थीगण अनुसूचित जाति के लोग है आर्थिक एंव सामाजिक दृष्टिकोण से कमजोर है, ग्रामीण क्षेत्र अक्सर अपभ्रंशित तौर नाम का उच्चारण किये जाने से राजस्व रिकार्ड मे प्रार्थीगणो का नाम अपभ्रसित रूप में दर्ज हो रहा है। प्रार्थी संख्या 1 जमनालाल का नाम राजस्व रिकार्ड खाता संख्या नया 191 में जगन्या एंव खाता संख्या 38 में जमनिया दर्ज है इसी प्रकार से प्रार्थी संख्या 2 का नाम भैरूलाल के स्थान पर खाता संख्या 191 व 38 खाता में मात्र भैरू ही दर्ज है। इसी प्रकार से खाता संख्या 38 में मेघवाल दर्ज है जबंकि प्रार्थी गणकीमूल जाति से चमार है। बैंक डायरी राशन कार्ड, भारत सरकार द्वारा जारी आधार कार्ड. जनआधार कार्ड, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र, एंव अन्य राजकीय कार्यालयो मे प्रार्थी संख्या 1 का नाम जमनालाल एवं प्रार्थी संख्या 2 का नाम

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

भैरूलाल दर्ज है। इसी प्रकार से प्रार्थीगण के पिता का नाम जमाबंदी की नकल खाता संख्या 191 में गणेश दर्ज है परन्तु प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न प्रार्थीगण के दस्तावेजो में प्रार्थीगण के पिता का नाम गणेशराम दर्ज है जो कि सही है। मात्र राजस्व रिकार्ड में प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न कृषि भूमि की नकलो मे प्रार्थीगण का नाम जमनालाल के स्थान पर जगन्या एव जमनिया एवं मेरूलाल के स्थान पर भेरू दर्ज है। तथा प्रार्थीगण के पिता का नाम खाता संख्या 191 में गणेश दर्ज है। राजस्व रिकार्ड मे इस प्रकार प्रार्थीगण एव उनके पिता का नाम गलत दर्ज होने से केन्द्र एवं राज्य सरकार के द्वारा प्रार्थीगण को दी जाने वाली सहयोग राशि मुआवजा बैंक से ऋण विद्युत कनेक्शन आदि प्राप्त करने में प्रार्थीगण को भारी असुविधा होती है जिसके परिणाम स्वरूप प्रार्थीगण शासन से प्राप्त होने वाले सभी सुविधाओं से वचित है। प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के अनुसार प्राथर्थीगण का एवं उनके पिता का जो उपरोक्त नाम गलत रूप से दर्ज है को संशोधित किये जाने आवश्यक है। विभिन्न अवसरों पर नाम शुद्ध कराने हेतु प्रार्थीगण के द्वारा अप्रार्थी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया गया परन्तु प्रार्थीगण एवं उनके पिता का नाम आज तक शुद्ध नहीं किया गया है तथा अन्त में प्रार्थीगण को दिनाक 03/10/2023 को अप्राथर्थी द्वारा जाहिर किया गया कि सम्मानीय न्यायालय ने कार्यवाही कर न्यायालय से आदेश जारी करने पर ही नाम शुद्ध किया

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम शेखापुर सम्वत् 2076–79 संख्या संख्या 191 फोटो प्रति आधार कार्ड जमनालाल फोटो प्रति बैंक पास बुक जमनालाल फोटो प्रति जन आधार कार्ड फोटो प्रति परिवार राशन कार्ड जमनालाल फोटो प्रति परिवार राशन कार्ड भैरूलाल फोटो प्रति आधार कार्ड भैरूलाल मतदाता पहचान पत्र भैरूलाल बैंक पास बुक भैरूलाल नकल जमाबन्दी ग्राम शेखापुर सम्वत् 2076–79 खाता संख्या 38 पेश की गई।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सूनी गई बहस के दौरान वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम शेखापुर तहसील छबडा में स्थित है। प्रार्थी जमनालाल का नाम राजस्व रिकार्ड में जगन्या व जमनिया दर्ज है इसी प्रकार भैरूलाल के स्थान पर राजस्व रिकार्ड में भैरू दर्ज है तथा प्रार्थी जमनालाल की जाति मेघवाल दर्ज है जबकि प्रार्थीगण की मूल जाति चमार है प्रार्थीगण की बैंक डायरी राशन कार्ड आधार कार्ड जन आधार कार्ड मतदाता पहचान पत्र एवं अन्य दस्तावेजों में प्रार्थीगण का नाम जमनालाल एवं भैरूलाल दर्ज है तथा प्रार्थीगण के पिता का नाम गणेश दर्ज है जबकि प्रार्थीगण के पिता का नाम गणेशराम है। राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण का नाम एवं पिता का नाम गलत दर्ज है तथा अन्य दस्तावेजों में सही है अन्य दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थीगण का व पिता का नाम दरूस्त किया जावे। जिससे प्रार्थी को राज्य सरकार से मिलने वाले लाभों सें वंचित नही होना पडे। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे।

बहस अभिभाषक प्रार्थीगण सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम शेखापुर

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

सम्वत् 2076–79 खाता संख्या 191 में प्रार्थीगण का नाम जगन्या पुत्र गणेश व भैरू पुत्र गणेश दर्ज है इसी प्रकार नकल जमाबन्दी ग्राम शेखापुर सम्वत् 2076–79 खाता संख्या 38 में जगन्या पुत्र गणेशराम व भैरू पुत्र गणेशराम दर्ज है प्रार्थीगण के अन्य दस्तावेजात जैसे आधार कार्ड बैंक पास बुक जन आधार कार्ड मतदाता पहचान पत्र एवं परिवार राशन कार्ड में जमनालाल पुत्र गणेशराम भैरूलाल पुत्र गणेशराम जाति चमार दर्ज है। इससे यह साबित होता है कि प्रार्थीगण का सही नाम जमनालाल पुत्र गणेशराम जाति चमार एवं भैरूलाल पुत्र गणेशराम जाति चमार है। इस सम्बन्ध में तहसीलदार छबडा से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार छबडा ने रिपोर्ट में ग्राम शेखापुर की जमाबन्दी खाता संख्या 191 रकबा 1.6311 है0 में प्रार्थी का नाम जगन्या पुत्र गणेश जाति चमार व भैरू पुत्र गणेश जाति चमार दर्ज है खाता संख्या 38 रकबा 1.7450 है0 भूमि में प्रार्थी का नाम जमनिया पुत्र गणेशराम जाति मेघवाल व भैरू पुत्र गणेशराम जाति मेघवाल दर्ज है ग्राम वासियों से जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि जगन्या, जमनिया एक ही व्यक्ति का नाम होना बताया व भैरू व भैरूलाल एक ही व्यक्ति का नाम है प्रार्थी के पिता गणेश व गणेशराम भी एक ही व्यक्ति का नाम है ग्राम वासियों के द्वारा उक्त खातेदारों को अलग–अलग नामों से पुकारा जाता है बताया है तहसीलदार छबडा की रिपोर्ट एवं प्रार्थीगण के दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थीगण का नाम जमनालाल व भैरूलाल है प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी वाके ग्राम शेखापुर तहसील छबडा के खाता संख्या 191 में अंकित जगन्या के स्थान पर जमनालाल व भैरू के स्थान पर भैरूलाल तथा प्रार्थीगण के पिता का नाम गणेश के स्थान पर गणेशराम तथा खाता संख्या 38 में दर्ज जमनिया के स्थान पर जमनालाल व भैरू के स्थान पर भैरूलाल एवं खाता संख्या 191 में दर्ज जाति चमार के स्थान पर मेघवाल दर्ज करने के आदेश तहसीलदार छबडा को दिये जाते है।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
आर ए एस
छबड़ा (बारां)

उपखण्ड अधिकारी, छबडा